भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*51
बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)

महिला की कार्यक्षेत्र में भागीदारी-दर

*51. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में महिला की कार्यक्षेत्र में भागीदारी की दर लगातार कम हो रही है, यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी की दर में सर्वाधिक कमी आयी है, यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) महिला की कार्यक्षेत्र में भागीदारी की दर में आ रही गिरावट के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या उपाय किए गए हैं और इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

महिला की कार्यक्षेत्र में भागीदारी-दर के बारे में श्री पी॰ एल॰ पुनिया द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *51 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 26.06.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): रोजगार एवं बेरोजगारी सांख्यिकी पर सूचना स्रोतों के तीन समुच्चय हैं। आंकड़ो के इन समुच्चयों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं हेतु अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर निम्नानुसार हैः

(i) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) [पूर्व में एनएसएसओ] द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस):

सर्वेक्षण	महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
पीएलएफएस (2017-18)	24.6	20.4	23.3

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के पंचवार्षिक सर्वेक्षण:

सर्वेक्षण	महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
एनएसएसओ 61वां दौर (2004-05)	49.4	24.4	42.7
एनएसएसओ 66वां दौर (2009-10)	37.8	19.4	32.6
एनएसएसओ 68वां दौर (2011-12)	35.8	20.5	31.2

(iii) श्रम ब्यूरो, वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस):

वर्ष	महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
2011-12	33.9	19.1	30.0
2012-13	29.9	17.8	26.5
2013-14	36.4	19.7	31.1
2015-16	31.7	16.6	27.4

उपर्युक्त तीन सर्वेक्षणों के परिणाम प्रयोग की गई विभिन्न कार्य-पद्धति के कारण तुलनीय नहीं हैं। तथापि, ये परिणाम पिछले वर्षों के दौरान गिरती हुई महिला श्रम बल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। यह गिरावट शिक्षा में महिलाओं की उच्चस्तरीय भागीदारी, प्रवास इत्यादि जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को दूध पिलाने हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपयुक्त मजदूरी बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****